

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

(3) अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

(2) आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
उत्तर प्रदेश।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक: 08 जून, 2018

विषय:सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना हेतु विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाली "कृषि" भू-उपयोग का "औद्योगिक" भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से छूट के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-546/18-2-2018-80(ल०उ०)/2017 दिनांक 24.05.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति-2017 में उल्लेख किया गया है कि-

प्रदेश में उद्यमिता, स्वरोजगार एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्वपूर्ण योगदान को दृष्टिगत रखते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करने हेतु इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किए जाने तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु उ०प्र० सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति-2017 राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीति में यह प्राविधान है कि विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाली कृषि भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक में परिवर्तन कराने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की इकाईयों तथा औद्योगिक पार्क को परिवर्तन शुल्क से मुक्त रखा जायेगा।

2. उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-53 तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 के नियम-3 के उप नियम (तीन) के अधीन श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति-2017 के आलोक में विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाली कृषि भू-उपयोग का औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों एवं औद्योगिक पार्क भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से मुक्त रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति-2017 में परिभाषित औद्योगिक इकाईयों तथा औद्योगिक नीति में वर्णित औद्योगिक

पार्क हेतु 'कृषि' भू-उपयोग से 'औद्योगिक' भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से छूट की सुविधा अनुमन्य होगी।

- (2) औद्योगिक इकाई एवं औद्योगिक पार्क की स्थापना/संचालन 05 वर्ष के भीतर अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
- (3) उक्त नीति के अधीन स्थापित औद्योगिक इकाईयों एवं औद्योगिक पार्क को निर्धारित प्रयोजन हेतु भूमि के उपयोग की सुविधा अनुमन्य होगी। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।
- (4) शासन द्वारा निर्धारित किसी शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में दी गयी छूट स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (5) औद्योगिक पार्क एवं औद्योगिक इकाईयों द्वारा औद्योगिक नीति व उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति-2017 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त प्राविधानिक व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
8/6/2018
(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव

संख्या— (1) /आठ-8-2018-08विविध/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आवास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य)
अनु सचिव